संख्या– 2201 / II–2014–04(01)/2011, टी0सी0

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 15 जुलाई, 2014

विषयः **नाबार्ड वित्त पोषण के अन्तर्गत निर्माणाधीन नहर निर्माण योजनाओं में धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या–1999/मुअवि/बजट/बी–1, (सामान्य) दिनांक 22.05.2014, पत्र सं0 2319/मुअवि/बजट/बी–1, (सामान्य) दिनांक 20.06.2014, पत्रसं0 2487/मुअवि/बजट/बी–1 (नाबार्ड) दिनांक 10.07.2014 के क्रम में व अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 80/अ0मु0स0/पी0एस0/2014–15, दिनांक 23.04.2014 तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 390(1)/XXVII(1)/2014, दिनांक 23.05.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड के ट्रैन्च RIDF-XVII के अन्तर्गत **संलग्नक–1** पर अंकित निर्माणाधीन नहर सेवा मार्गों की योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 400.00 लाख (₹ चार करोड़ मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलबध कराई जाय।

(ii) उक्त धमराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय। साथ ही अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य वित्तीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाय। अगर नाबार्ड गाईडलाइन्स से किसी भी प्रकार का व्यावर्तन होता है तो विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।

(iii) निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(iv) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।

(v) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलबध कराया जाय।

(vi) धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा।

क्रमशः..........2

(viii) कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(ix) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा जब विभाग द्वारा नाबार्ड से आर0आई0डी0एफ0 XVII के अन्तर्गत उक्त 04 योजनाओं के प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ स्वीकृति भी प्राप्त करेंगे।

(x) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–10 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xii) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(xiii) उल्लिखित कार्यों/योजनाओं के आगणनों में स्वीकृत डिजाईन/मानक एवं दरों तथा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

(xiv) इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06 **निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें** 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0202 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–220/XXVII/(1)/14 दिनांक– 15 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

संख्या– 2207 (1)/ II–2014–04(01)/2011, टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
5– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– वित्त अनुभाग–1 एवं वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः– 2201 / II–2014–04(01)/2011, टी0सी0 दिनांक 15/07/14 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	योजना की लागत	वर्ष 2013–14 तक कुल व्यय	दि0 1.4.14 को अवशेष	वर्ष 2014–15 हेतु लक्ष्य	वर्ष 2014–15 में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7	8
	नहर सेवा मार्ग **(RIDF-XVII)**						
1	देहरादून के डोईवाला विकास खण्ड में अपर नथुवावाला नहर सेवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की योजना।	23.1.12	398.190	161.670	236.520	236.520	100.000
2	देहरादून के डोईवाला वि.ख. में मियांवाला नहर सेवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की योजना।	23.1.12	498.110	199.660	298.450	298.450	100.000
3	देहरादून के डोईवाला वि.ख. में लोअर नथुवावाला नहर सेवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजना	23.1.12	486.000	187.480	298.520	298.520	100.000
4	देहरादून के डोईवाला वि.ख. में बालावाला नहर सेवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की योजना।	23.1.12	498.530	199.740	298.790	298.790	100.000
	योग						**400.00**

(₹ चार करोड़ मात्र)

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।